



भारत सरकार

सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु  
भारतीय दंड संहिता अंतर्गत विभिन्न कानून

अनु. क.	गुनाह	भारतीय दंड विधान की धारा	सजा
1.	सरकारी कर्मचारी से अपराधों का इस्तेमाल करना	धारा 504	2 वर्ष का सश्रम कारावास
2.	सरकारी कर्मचारी से वाद विवाद करना	धारा 504	2 वर्ष का सश्रम कारावास
3.	सरकारी कार्य में रुकावट डालना	धारा 354	2 वर्ष का सश्रम कारावास
4.	सरकारी कर्मचारी को धमकी देना	धारा 506	3 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास
5.	सरकारी कर्मचारी से मारपीट करना	धारा 332	3 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास
6.	सरकारी कर्मचारी से वसूली मांगना/ब्लैकमेल करना	धारा 383,384,386	2 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास
7.	सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश करना	धारा 420	2 वर्ष का सश्रम कारावास
8.	सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना	धारा 378	3 वर्ष का सश्रम कारावास
9.	सरकारी दस्तावेज चोरी करना	धारा 378,379	3 वर्ष का सश्रम कारावास
10.	सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुँचाना	धारा 378,379	3 वर्ष का सश्रम कारावास
11.	अनाधिकृत व्यक्तियों का जमाव	धारा 949,943	6 वर्ष का सश्रम कारावास
13.	सरकारी कार्यालय में बल व हिंसा करना	धारा 946,948,950	6 वर्ष का सश्रम कारावास